राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .....1175/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – लार्सन एण्ड टुब्रो, वैशाली नगर, जयपुर बनाम (1) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,तृतीय, जयपुर (2) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.09.2017	**खण्डपीठ** **श्री वी.श्रीनिवास–अध्यक्ष** **श्री नत्थूराम–सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एम.एल.पाटोदी एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धार 38(4) सपठित राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम,2017 की धारा 174 के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 8,97,02,394/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का मुख्यालय राज्य के बाहर और शांखायें राजस्थान राज्य में हैं मुख्यालय द्वारा टर्न की आधार पर संविदा कार्य का निष्पादन राज्य में किया गया है। संविदा कार्य में प्रयुक्त सामग्री हेतु अवार्डर द्वारा जारी किये गये सी फार्म के समर्थन पर माल राज्य के बाहर से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम,1956 की धारा 6(2) के तहत आयातित किया गया। इस प्रकार अवार्डर द्वारा राज्य के बाहर से सामग्री खरीद कर प्रोजक्ट में उपयोग में की गयी है। उक्त खरीद/बिक्री संव्यवहार राज्य के बाहर से धारा 6(2) के अन्तर्गत होने के कारण, राज्य में कर मुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त संव्यवहारों को राज्य के भीतर विक्रय होना मानते हुए, कर व ब्याज का आरोपण किया जो विधिसम्मत नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित मै0 इण्डियन ह्यूम पाईप कं0 लि0 बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 28.08.2017 व आयुक्त दिल्ली बनाम ए.बी.बी.लि0 निर्णय दिनांक 5.4.2016 तथा माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व पारित लार्सन एण्ड टुब्रो बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 21.06.2017 आदि निर्णय प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित	

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .....1175/2017.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 2 –	
05.09.2017	आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 8,97,02,394/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.08.2017 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह है कि राज्य में निष्पादित किये गये संविदा कार्य में प्रयुक्त सामग्री हेतु अवार्डर द्वारा जारी किये गये सी फार्म के समर्थन में माल राज्य के बाहर से खरीद कर प्रयोग में लायी गयी है जो कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम,1956 की धारा 6(2) के अन्तर्गत होने के कारण राज्य में कर मुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त संव्यवहार को राज्य के भीतर विक्रय होना मानते हुए कर व ब्याज का अरोपण किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी का यह आधार परीक्षण योग्य है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व महत्वपूर्ण क्षति का मामला अपीलार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 8,97,02,394/– की वसूली कार्यवाही निर्णय तिथि से तीन माह की अवधि या अपील के निर्णय तक जो भी पहले हो तक इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (नत्थूराम) सदस्य (वी.श्रीनिवास) अध्यक्ष	